

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 388]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 11 जुलाई 2018—आषाढ़ 20, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई, 2018

क्र. 11399-232-21-अ(प्रा.) अधि.-2018.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 9 जुलाई, 2018 को राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १७ सन् २०१८

मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) अधिनियम, २०१८

[दिनांक 9 जुलाई, 2018 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 11 जुलाई, 2018 को प्रथम बार प्रकाशित की गई].

मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम, १९८२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनहतरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. १. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) अधिनियम, २०१८ है.
(२) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
- भाग तीन का निरसन. २. मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम, १९८२ (क्रमांक १५ सन् १९८२) में, धारा ६ तथा ७ को अंतर्विष्ट करने वाले भाग-तीन "वन विकास उपकर" को निरसित किया जाए.
- व्यावृत्ति. ३. उपर्युक्त भाग के निरसन पर, पूर्व में ही की गई या भुगती गई किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम पर या पूर्व में ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व पर या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही पर या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग पर या उससे किसी निर्मुक्ति, या उन्मोचन पर, या पूर्व में ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति पर या भूतकाल में किए गए किसी कार्य या बात के सबूत पर प्रभाव नहीं डालेगा.
- कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति. ४. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध बना सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:
परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.
(२) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा.
- निरसन तथा व्यावृत्ति. ५. (१) मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) अध्यादेश, २०१८ (क्रमांक ९ सन् २०१८) एतद्वारा निरसित किया जाता है.
(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई, 2018

क्र. 11399-232-21-अ (प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 17 सन् 2018) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.

आर. पी. गुप्ता, अवर मन्त्रि.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 17 OF 2018

THE MADHYA PRADESH KARADHAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2018

[Received the assent of the Governor on the 9th July, 2018; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 11th July, 2018].

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Karadhan Adhiniyam, 1982.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-ninth year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2018. **Short title and commencement.**
- (2) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.
2. In the Madhya Pradesh Karadhan Adhiniyam, 1982 (No. 15 of 1982), Part III "Forest Development Cess" containing sections 6 and 7 shall be repealed **Repeal of Part III.**
3. The repeal of the aforesaid part shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired accrued or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing. **Saving.**
4. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty: **Power to remove difficulties.**
- Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.
- (2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.
5. (1) The Madhya Pradesh Karadhan (Sanshodhan) Adhyadesh, 2018 (No. 9 of 2018) is hereby repealed. **Repeal and saving.**
- (2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.